सितंबर 2022 ■ वर्ष : 32 ■ अंक : 1 ₹125

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

मुख्य परीक्षा के 100 अति संभावित विषय सामान्य अध्ययन पेपर I-IV

मॉडल प्रश्न व उत्तर सहित

सामयिक आलेख

- अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण : महत्व, चुनौतियां एवं उपाय
- I2U2 समूह तथा भारत : पश्चिम एशिया में आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग की पहल
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका : औचित्य, लाभ एवं चुनौतियां
- भारत में जनजातीय समुदाय : प्रतिनिधित्व, भेद्यता एवं समावेशन
- जमानत संबंधी पृथक कानून : समय की मांग
- भारत में कुपोषण का गंभीर संकट : कारण एवं उपाय
- मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्यूरिटी ग्रुप : देश की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
- जियो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी : वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान का विकल्प
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध : कारण एवं समाधान के उपाय
- सूक्ष्म वित्त संस्थान : महत्व एवं चुनौतियां

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022

मॉडल पेपर सामान्य अध्ययन

विषय विमर्श:

दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण

सामाजिक भागीदारी के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण आवश्यक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 : मॉडल प्रश्न-पत्र

धर्मेन्द्र सर
पतंजलि आईएएस

अखिल मूर्ति
संस्कृति आईएएस

डॉ. एस. एस. पांडेय
दीक्षांत आईएएस

चंदन प्रिय
परफेक्शन आईएएस

श्रीमन नारायण सिंह
सृजन आईएएस एकेडमी

सितंबर 2022 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

सितंबर 2022

❑ वर्ष 32 ❑ अंक 1

इस अंक में

मुख्य परीक्षा विशेष-3

106 100 जीएस टॉपिक

अंतरविषयी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022
168 मॉडल प्रश्न-पत्र

1. दर्शनशास्त्र (धर्मेन्द्र सर, पतंजलि आईएएस)
2. इतिहास (श्री अखिल मूर्ति, संस्कृति आईएएस)
3. समाजशास्त्र (डॉ. एस. एस. पांडेय, दीक्षांत आईएएस)
4. भूगोल (चंदन प्रिया, परफेक्शन आईएएस)
5. लोक प्रशासन (श्रीमन नारायण सिंह, सृजन आईएएस एकेडमी)

सामयिक आलेख

06 अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण : महत्व, चुनौतियां एवं उपाय
09 I2U2 समूह तथा भारत : पश्चिम एशिया में आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग की पहल
12 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका : औचित्य, लाभ एवं चुनौतियां
15 भारत में जनजातीय समुदाय : प्रतिनिधित्व, भेद्यता एवं समावेशन

विषय विमर्श

18 दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण : सामाजिक भागीदारी के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण आवश्यक

इन फोकस

22 जमानत संबंधी पृथक कानून : समय की मांग
24 भारत में कुपोषण का गंभीर संकट : कारण एवं उपाय
26 मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्यूरिटी ग्रुप : देश की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
27 जियो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी : वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान का विकल्प
29 रोगाणुरोधी प्रतिरोध : कारण एवं समाधान के उपाय
30 सूक्ष्म वित्त संस्थान : महत्व एवं चुनौतियां

राज्य परीक्षा विशेष

161 यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 विशेष
मॉडल पेपर : सामान्य अध्ययन

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय 32-43

32 न्यायिक विलम्ब : कारण तथा उपाय
33 भारतीय नागरिकता का त्याग एवं अर्जन
34 परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
35 न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल, 2022
36 भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
37 देश की 15वीं राष्ट्रपति : श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
38 असंसदीय शब्द तथा इससे संबंधित नियम
38 सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु राष्ट्रीय मानक
39 महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण
39 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक
40 एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022
41 नागरिकों के लिए नि:शुल्क टेली-लॉ सेवा
42 नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण
42 जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल में विस्तार
43 भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन
43 चौथा सिनर्जी सम्मेलन

सामाजिक परिदृश्य 44-49

44 मिशन वात्सल्य के लिए नवीन दिशानिर्देश
45 विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति-2022 रिपोर्ट
45 किशोर न्याय बोर्ड
46 भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी
47 भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति
47 नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की 16वीं बैठक
48 नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना
48 गोल 2.0 कार्यक्रम
49 मिशन शक्ति योजना

विरासत एवं संस्कृति 50-54

50 आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे
51 लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद
52 स्टेच्यू ऑफ पीस
52 मानगढ़ पहाड़ी
53 श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर
53 बोनालु त्योहार
53 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल
54 महाराजा सरफोजी द्वितीय की पेंटिंग
54 खारची पूजा

आर्थिक परिदृश्य 55-65

55 प्राकृतिक कृषि : महत्व तथा सरकार के प्रयास
56 राष्ट्रीय कृषि बाजार
56 डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड
57 व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020
58 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की व्यापक निकासी
59 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
59 भारत नवाचार सूचकांक 2021
61 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग
61 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक
62 जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट
62 बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल
63 एफसीआरए नियमों में संशोधन
63 अल्प बचत योजनाएं
64 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
64 महिला वित्तीय संस्थान

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 66-75

66 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2022
67 वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022
68 यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट-2022
69 दुर्लभ खनिज क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग
69 भारत-ताजिकिस्तान संबंध
70 शंघाई सहयोग संगठन में विस्तार की संभावना
70 विस्तारित फंड सुविधा
71 इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल
71 G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक
72 भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव
73 48वां G7 शिखर सम्मेलन
73 चीन द्वारा मौसम-संशोधान गतिविधियों का संचालन
74 इंडोनेशिया: यात्रियों के लिए डिजिटल घुमंतू वीजा
74 मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल
75 भारत-बांग्लादेश : 52वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता

पर्यावरण एवं जैव विविधता 76-84

76 यूरोप में वनाग्नि की घटनाएं
77 काराकोरम विसंगति
77 हिम तेंदुआ द्वारा पारिस्थितिक संतुलन
78 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022
79 वन्य प्रजातियों के वैश्विक आकलन पर IPBES रिपोर्ट
79 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022
80 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022
81 वन (संरक्षण) नियम, 2022
82 हरित हाइड्रोजन तथा विकार्बनीकरण
82 चेनकुरिंजी संरक्षण
83 कृष्णमृग सर्वेक्षण
83 मंकीपॉक्स : अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल
83 बादल फटने की घटना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 85-92

85 प्रारंभिक ब्रह्मांड की सबसे स्पष्ट अवरक्त छवि
86 POEM प्लेटफॉर्म
86 प्रोजेक्ट **17A**
87 स्वचालित मानव रहित विमान का सफल परीक्षण
87 भारत का पहला एचपीवी वैक्सीन
88 केरल में एंथ्रेक्स का प्रकोप
89 एडीज इजिप्टी मच्छरों की क्रॉस-ब्रीडिंग
89 गीगा मेश
90 LUX-ZEPLIN : विश्व का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर
90 क्षय रोग को नियंत्रित करने संबंधी उपाय
91 भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता
91 इंटरनेट शटडाउन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट
91 अभ्यास : हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट

लघु संचिका 93-95

राज्यनामा.....................................96-101

खेल परिदृश्य..................................102-105

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण
महत्व, चुनौतियां एवं उपाय

• संपादकीय डेस्क

डिकार्बोनाइजेशन या विकार्बनीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसके तहत जैव-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना; स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों को अपनाना; हाइड्रोजन एवं कार्बन कैप्चर जैसी ऊर्जा दक्षता की नेक्स्ट जनरेशन तकनीकों को लागू करना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यापक वित्तीय रूपरेखा को निर्मित करने जैसे कदम शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के विकार्बनीकरण हेतु देश में एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इस रणनीति के तहत अर्थव्यवस्था को क्षेत्रवार वर्गीकृत करके विकार्बनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में लागू किया जाना चाहिए।

29 जून, 2022 को नीति आयोग द्वारा 'हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन : अपरचुनिटीज फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया' (Harnessing Green Hydrogen: Opportunities for Deep Decarbonization in India) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसमें बताया गया है कि आने वाले दशकों में ग्रीन हाइड्रोजन से भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने एवं वर्ष 2070 तक नेट-जीरो (Net-Zero) के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

- इसी प्रकार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जून, 2022 को 'औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट-2022' (Industrial Decarbonization Summit-2022) का उद्घाटन किया। इस समारोह में यह जोर दिया गया कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक ईंधन का विकास करना समय की मांग है।
- भारत ने वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, सरकार ने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता में वृद्धि करने के साथ-साथ वैकल्पिक ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) तथा मेथनॉल एवं एथेनॉल (Methanol and Ethanol) के प्रयोग को बढ़ावा देकर भारत आने वाले समय में कार्बन न्यूट्रैलिटी (Carbon Neutrality) के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के महत्व का विश्लेषण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के डिकार्बोनाइजेशन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत को विकार्बनीकरण रणनीति की आवश्यकता क्यों है?

विकार्बनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित कार्बन को समाप्त करके पर्यावरणीय संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में, हरित गैसों को कम करने, सौर एवं पवन ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा की हानि एवं अपव्यय को रोकने जैसे उपायों पर जोर दिया जाता है।

- वर्तमान समय में विश्व का लगभग प्रत्येक देश एक समयबद्ध 'शुद्ध-शून्य' कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की नीति पर सहमत हो गया है। इन देशों द्वारा डिकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- इसी संदर्भ में, भारत ने भी जलवायु कार्रवाई योजना के तहत कुछ लक्ष्यों की घोषणा की है, जिनमें वर्ष 2070 तक (यह लक्ष्य अमेरिका द्वारा 2050 तथा चीन द्वारा वर्ष 2060 तक निर्धारित किया गया है) शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) के लक्ष्य को प्राप्त करना भी शामिल है। इस प्रकार भारत ने अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने के लिए दीर्घकालिक योजना के महत्व को स्वीकार किया है।
- भारत सरकार ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) आधारित बिजली की लागत में तेजी से कमी करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया है। सरकार द्वारा वर्ष 2015 में 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस प्रतिबद्धता के पश्चात भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को 450 गीगावाट क्षमता तक बढ़ा दिया है।
- भारत को अपने लक्ष्यों की पूर्ति में अनेक वित्तीय एवं नीतिगत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एक कारगर एवं समन्वित डिकार्बोनाइजिंग रणनीति लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।

डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयास

1990 के दशक से ही भारत विकार्बनीकरण को बढ़ावा देने तथा हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयासरत है। वर्ष 1992 में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्थापना की जिसे वर्ष 2006 से इसके परिवर्तित नाम 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के रूप से जाना जा रहा है।

- भारत में पिछले 10 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में व्यापक सुधार हुआ है। देश में पवन और सौर ऊर्जा के रूप में लगभग 1050 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

I2U2 समूह तथा भारत

पश्चिम एशिया में आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग की पहल

• रमेश खनाल

I2U2 समूह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है, जिसका लक्ष्य संयुक्त निवेश के माध्यम से 'जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित नई पहलों' पर सहयोग करना है। यह समूह भारत के लिए अपने ऊर्जा और आर्थिक हितों तथा समूह के देशों में अधिक प्रवासियों की उपस्थिति के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह विश्व भर में गठजोड़ एवं साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित और पुनः सक्रिय करने हेतु भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है तथा शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया की संकल्पना को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

14 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें इजराइल के प्रधान मंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो. बाइडेन भी शामिल हुए। इस वर्चुअल मीटिंग का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर था।

- I2U2 पहल भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य निर्मित एक नवीन समूह है। विशेषज्ञों द्वारा इस समूह को अनौपचारिक रूप से 'पश्चिम एशियाई क्वाड' (West Asian Quad) की संज्ञा भी दी जा रही है। I2U2 समूह 4 देशों के नामों के पहले अक्षरों को संदर्भित करता है, जिसमे 'I2' का अर्थ भारत और इजराइल है, जबकि 'U2' का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है।

I2U2 समूह की पृष्ठभूमि

सितंबर 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यस्थता किए गए 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके कारण इजराइल और अरब खाड़ी के देशों के बीच संबंध सामान्य हो गए।

- I2U2 समूह की अवधारणा पहली बार अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद इजराइल में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी, जिसमे डॉ. एस जयशंकर और इजराइल के तत्कालीन विदेश मंत्री यायर लापिड व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए थे, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री तथा संयुक्त अरब अमीरात के विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था।
- I2U2 समूह का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन, जल, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटना था। अक्टूबर 2021 में इस समूह को 'आर्थिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच' (International Forum for Economic Cooperation) कहा गया था।

I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका और इजराइल के निजी क्षेत्रों की सहायता से भारत में 'एकीकृत खाद्य पार्कों' (Integrated Food Parks) की एक शृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा की। भारत एकीकृत खाद्य पार्कों की इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा।

- I2U2 समूह में शामिल 4 देशों ने घोषणा की है कि वे गुजरात में एक 'हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना' (Hybrid Renewable Energy Project) का समर्थन करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से 300 मेगावाट पवन एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है।
- यूएसए और इजराइल के निजी क्षेत्रों को परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान देने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। I2U2 ढांचे के तहत चारों देश जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- I2U2 समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल देशों के 'एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनीशिएटिव' (Agriculture Innovation Mission for Climate initiative) में शामिल होने की भारत की रुचि का भी स्वागत किया है। I2U2 नेताओं ने 'अब्राहम समझौते' के लिए समर्थन तथा इजराइल के साथ अन्य शांति और सामान्यीकरण व्यवस्था के लिए समर्थन की भी पुष्टि की है।

I2U2 समूह के उद्देश्य

इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य देशों के मध्य आपसी सहयोग और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है।

- इसका एक अन्य उद्देश्य पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका

औचित्य, लाभ एवं चुनौतियां

• संपादकीय डेस्क

भारत वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी राष्ट्र है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र का योगदान सीमित रहा है। इस चुनौती के समाधान तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जून 2020 में एक नई इकाई IN-SPACE की घोषणा की थी। अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है तथा इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले नवाचार राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

10 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इन-स्पेस की स्थापना अंतरिक्ष उद्योग में निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इन-स्पेस एकल-खिड़की नोडल संगठन (Single-Window Nodal Organization) होगा, जो प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रहों के निर्माण सहित विविध अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत और विनियमित करेगा।

- ध्यातव्य है कि किसी देश की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी बढ़ाती है तथा इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति उस देश के सॉफ्ट पॉवर को वैश्विक स्तर पर स्थापित करती है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम संचार, मौसम विज्ञान, सुदूर संवेदन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार टेलीविजन और ब्रॉडबैंड सेवा, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष-आधारित नेविगेशन तथा रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में भी किया गया है। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी सीमित है। इसीलिए वर्तमान समय में सरकार अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी का औचित्य

- **बढ़ती मांग:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कम से कम 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की केवल 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वार्षिक बजट 10,000 करोड़ (1.45 अरब डॉलर) को पार कर गया है।
  - लेकिन, इस क्षेत्र का केवल 2% ही रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए उपयोग होता है तथा 95% जमीन और उपग्रह-आधारित प्रणाली और सेवाओं (ground and satellite-based systems) पर खर्च होता है। हालांकि, भारत में अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं (Space-based Services) की मांग अकेले इसरो द्वारा पूरी किया जाना बेहद चुनौतीपूर्ण है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार:** देश में अंतरिक्ष उद्योग के संपूर्ण विस्तार के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।
  - वर्तमान में इसरो निजी क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा दे रहा है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** देश की अंतरिक्ष क्षमताओं (Space Capabilities) को सुरक्षित करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।
  - भारत को विभिन्न उपग्रहों और अंतरिक्ष संपत्तियों का निर्माण करना होगा जो देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- **वैश्विक रुझान:** वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष उद्योग में निजी कंपनियों का बढ़ता महत्व एलन मस्क की 'स्पेसएक्स' और इसकी उपलब्धियों द्वारा स्पष्ट होता है।
  - भारत में कई बाधाओं के कारण निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र का विकास नहीं हुआ है।
- **संसाधन उपलब्धता में वृद्धि:** भूमि, श्रम और पूंजी सीमित सार्वजनिक संसाधन हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी से नई प्रतिभा और संसाधनों को इस क्षेत्र में लगाया जा सकेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वित्त और अनुभव में वृद्धि होगी।
- **मानव संसाधन उपलब्धता:** अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल करने से देश में उपलब्ध प्रतिभा का प्रभावी उपयोग हो सकेगा।
  - इस प्रकार, अंतरिक्ष अन्वेषण में जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग किया जा सकेगा।
- **प्रौद्योगिकी प्रगति:** देश में अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप बेहतर तकनीक विकसित की जा सकेगी।
  - कई अत्याधुनिक तकनीकों को अंतरिक्ष अन्वेषण में शामिल किया जा सकेगा।

भारत में जनजातीय समुदाय

प्रतिनिधित्व, भेद्यता एवं समावेशन

• नवीन चंदन

भारत, परचेजिंग पावर पैरिटी (Purchasing Power Parity) के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है। किन्तु अभी भी एक तबका है जो हाशिए पर जीवन यापन कर रहा है, जिसे हम आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी आदि नामों से पुकारते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्यों यह वर्ग समाज से जुड़ नहीं पाया तथा विकास से वंचित रह गया? इनकी समस्याएं क्या हैं तथा इनका समाधान क्या हो सकता है?

भारत, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आजादी के अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। इसी अमृत काल में ओडिशा के रायरंगपुर के संथाली परिवार से संबंध रखने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, जो हमारे गणतंत्र की सार्थकता, सशक्तता तथा परिपक्वता को दर्शाता है। साथ ही जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के कारण इस समुदाय की समस्याएं, चुनौतियां तथा समाज की मुख्य धारा में इनके समावेशन का मुद्दा पुनः चर्चा के केंद्र में है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) ने अनुसूचित जनजातियों को 'ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों के रूप में परिभाषित किया है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- भारत दुनिया में सबसे बड़ी और विविध जनजातीय आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 104 मिलियन है, जो भारत की कुल आबादी का 8.6% है। इनमें से 89.97% ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03% शहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं। अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी मध्य भारत में केंद्रित है।

जनजातीय समुदाय का विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व

राजनीतिक प्रतिनिधित्वः वर्तमान लोक सभा में एस.टी. सांसदों की संख्या 47 है, जो प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा में क्रमशः 1 और 4 था। वर्तमान केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 8 मंत्री एस.टी. वर्ग से है। यह बढ़ती संख्या इनके राजनीतिक सशक्तीकरण का द्योतक है।

- **न्यायपालिका में प्रतिनिधित्वः** 10 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में जिला स्तर पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के जजों की संख्या शून्य है, वहीं संपूर्ण भारत में इनका प्रतिशत 8% से भी कम है। उच्चतम न्यायालय में एस.टी. वर्ग की स्थिति और भी दयनीय है, जहां इनकी संख्या शून्य है और इसका मुख्य कारण वहां आरक्षण जैसी व्यवस्था का न होना है।
- **उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रतिनिधित्वः** उच्च शिक्षण संस्थानों में एस.टी. वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को 7.5% आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। इसके बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में एस.टी. वर्ग से संबंधित प्रोफेसरों की संख्या केवल 2.27% है। वहीं आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में स्थिति और भी चिन्ताजनक है, जहां 9640 पदों के सापेक्ष मात्र 23 प्रोफेसर ही इस वर्ग से संबंधित हैं।
- **प्रशासनिक प्रतिनिधित्वः** केन्द्र सरकार के तहत ग्रुप ए की सेवाओं में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व मात्र 5.92% है, जो इनको प्रदान किये गए आरक्षण की सीमा से अत्यंत न्यून है। वर्ष 2014 के एक डेटा के अनुसार भारत सरकार में कुल 89 सचिव के पद पर एस.टी. वर्ग से संबंधित लोग केवल 3 हैं।

जनजातीय समाज की भेद्यता

अनुसूचित जनजाति का अपना स्वतंत्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास रहा है, किन्तु औपनिवेशिक काल से ही इसे विरूपित करने का प्रयास किया गया था। इनके अधिकारों से इन्हें वंचित करने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी यह वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सर्वाधिक सुभेद्य है, जिसके निम्न कारण हैं:

- **प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्तिः** प्राकृतिक तथा खनिज संसाधनों की खोज के कारण बाहरी जगत का इन वर्गों के साथ संपर्क तथा प्राकृतिक संसाधनों पर राजकीय नियंत्रण ने इन्हें विपन्नता की ओर ढकेल दिया है।
- राष्ट्रीय पार्कों, संरक्षित वनों की स्थापना ने इनके समक्ष आजीविका संकट उत्पन्न कर दिया है।
- **शिक्षा का अभावः** 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समाज में 70% से अधिक लोग निरक्षर हैं तथा उच्च स्कूल ड्रापआउट रेट की प्रवृत्ति इन्हें अंधविश्वास, पूर्वाग्रह तथा निरपेक्ष गरीबी की ओर ले जाती है।

विषय विमर्श

दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण

सामाजिक भागीदारी के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण आवश्यक

❑ डॉ. अमरजीत भार्गव

दिव्यांगता सैद्धांतिक रूप से एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी एवं कार्य निष्पादन गतिविधियों की अक्षमता को भी शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में देश की एक बड़ी जनसंख्या दिव्यांगता से प्रभावित है। सरकार ने दिव्यांग लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई हैं, किंतु सामाजिक अवहेलना तथा नीतियों के लाभों के असमान वितरण के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में किए गए स्वास्थ्य संबंधित शोध यह बताते हैं कि बच्चों में बाल्यावस्था के समय दिव्यांगता की पहचान करके उसे दूर करना अधिक आसान होता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की भांति दिव्यांगता के निवारण हेतु व्यापक राष्ट्रीय अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

जून 2022 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DoEPwD) ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी करके 9 जुलाई, 2022 तक भारतीय नागरिकों से सुझाव मांगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लगभग

2.68 करोड़ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का अनुपात लगभग 2.21% है। यह अनुपात वैश्विक औसत से निम्न है फिर भी संख्या के दृष्टिकोण से आबादी का एक बड़ा भाग दिव्यांगता की समस्या से प्रभावित है।

* भारतीय संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को समानता की गारंटी प्रदान की गई है। हालांकि, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों से दिव्यांग व्यक्तियों (Person with Disabilities - PwD) को कलंक, भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। आम लोगों में व्याप्त गलत धारणा और पूर्वाग्रहों के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं का आकलन अत्यंत कम किया जाता है। इससे भारतीय समाज के इस वर्ग को विभिन्न जटिलताओं का सामना करना पड़ता है जो इनके समग्र विकास को प्रभावित करता है। लोगों तथा सरकारों के बीच दिव्यांगता के सही अर्थ की समझ में वृद्धि करने तथा इनके विकास हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। किंतु, एक व्यापक रणनीति के अभाव में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दुर्भावना तथा धारणाओं को परिवर्तित नहीं किया जा सका है। इनके संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण करके समाज में इस वर्ग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ इनके कल्याण में वृद्धि की जा सकती है।

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति

देश में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने तथा इनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) का गठन किया गया है।

* देश में दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक संख्या की गणना सामान्य जनगणना के समय की जाती है। जैसा हमने देखा है कि भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 2.68 करोड़ है। इसमें पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात क्रमशः 55.89% और 44.11% है।
* जनगणना के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है।
* भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या में से लगभग 69.45% दिव्यांग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य स्वास्थ्य सुविधाओं के असमान वितरण के कारण ही ग्रामीण भारत में दिव्यांग व्यक्तियों का अनुपात अधिक है।
* वर्ष 2011 में जारी किए गए जनगणना संबंधी आंकड़े यह बताते हैं कि देश में दिव्यांग जनसंख्या की लगभग 45% आबादी अशिक्षित है। शिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों में से लगभग 59% व्यक्ति मात्र 10वीं पास हैं।
* सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के बाद यह पता चला है कि इस योजना में सभी बच्चों को समान शिक्षा

in फोकस

- जमानत संबंधी पृथक कानून : समय की मांग
- भारत में कुपोषण का गंभीर संकट : कारण एवं उपाय
- मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्यूरिटी ग्रुप : देश की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
- जियो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी : वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान का विकल्प
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध : कारण एवं समाधान के उपाय
- सूक्ष्म वित्त संस्थान : महत्व एवं चुनौतियां

जमानत संबंधी पृथक कानून
समय की मांग

11 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम के जमानत अधिनियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से जमानत की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया कानून लाने का आग्रह किया।

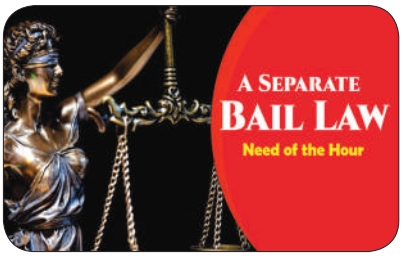

- जस्टिस संजय किशन कौल तथा जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की दो-सदस्यीय बेंच ने कहा कि देश में दोषसिद्धि की बेहद कम दर को देखते हुए जमानत कानूनों में सुधार ''अत्यंत आवश्यक'' है।
- यह कहते हुए कि इस तरह की हिरासत एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है तथा एक ''पुलिस राज्य'' की छाप पैदा करती है, शीर्ष अदालत ने अदालतों और जांच एजेंसियों को ''अनावश्यक'' गिरफ्तारी को रोकने के निर्देश जारी किए।

निर्णय के मुख्य बिंदु

पीठ ने जुलाई 2021 में 'सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई' मामले में जमानत सुधार (Bail Reform) पर दिए गए फैसले के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए।

- देश की जेलों में जहां दो-तिहाई से अधिक बंदी विचाराधीन कैदी हैं, की स्थिति का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसे संयम से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
- पीठ ने कहा कि जमानत देना एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है, जोकि अनुच्छेद 21 की भावना के अनुरूप है तथा 'दोषी साबित होने तक निर्दोष होने' की अवधारणा आपराधिक कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर समस्या गैर-जरूरी गिरफ्तारी के कारण होती है जो सीआरपीसी (CrPC) की धारा 41 और 41ए के साथ सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार के फैसले में जारी निर्देशों का उल्लंघन है। यह निश्चित रूप से जांच एजेंसियों की औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।
- गिरफ्तारी के समय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 और 41ए का पालन न करने पर आरोपी को जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। अवगत करा दें कि सीआरपीसी की धारा 41 पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार प्रदान करती है, जबकि धारा 41ए पुलिस के सामने पेश होने की प्रक्रिया से संबंधित है।

जमानत के संबंध में मौजूदा कानून क्या है?

भारतीय कानूनी प्रणाली में ऐसा कोई पृथक कानून नहीं है, जो जमानत को परिभाषित करता हो, यद्यपि इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किया गया है।

- सीआरपीसी, अपराधों को जमानती (bailable) और गैर-जमानती (non-bailable) के रूप में वर्गीकृत करती है।
- सीआरपीसी की धारा 436 के अनुसार, जमानती अपराधों के संबंध में 'जमानत' एक अधिकार है तथा पुलिस या अदालत, जिसके पास भी हिरासत है, वह जमानत बांड प्रस्तुत करने के बाद आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य है।
- वहीं गैर-जमानती अपराधों के संबंध में कोई आरोपी, जमानत का दावा 'अधिकार' के रूप में नहीं कर सकता। इन मामलों में जमानत देने का विवेकाधिकार न्यायालयों के पास है। सीआरपीसी की धारा 437 मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों से संबंधित दलीलों से निपटने का अधिकार देती है (मृत्यु की सजा या आजीवन कारावास के अपराधों को छोड़कर)।

भारत में एक पृथक जमानत कानून की आवश्यकता क्यों है?

- **एकाधिक एवं असंबद्ध प्रावधान:** वर्तमान में, गिरफ्तारी एवं पूछताछ, वारंट एवं समन जारी करने, बांड एवं जमानत के निष्पादन तथा पुलिस व अदालतों की शक्तियों से संबंधित प्रावधान, सीआरपीसी तथा सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बाध्यकारी दिशानिर्देशों में बिखरे हुए हैं।
- इन सभी प्रावधानों को एकीकृत करने वाला एक पृथक कानून जमानत प्रदान करने में न्यायालयों के विवेकाधिकार की मनमानी को रोक सकता है।

मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्यूरिटी ग्रुप

देश की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

30 जून, 2022 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser - NSA) अजीत डोभाल ने देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator - NMSC) वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में 'बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह' (Multi-Agency Maritime Security Group - MAMSG) की प्रथम बैठक का उद्घाटन किया।

- वर्तमान समय में विश्व की प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों का केंद्र बिंदु 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र' (Indo-Pacific region) है। हिंद महासागरीय क्षेत्र (Indian Ocean Region - IOR) का प्रमुख सुरक्षा प्रदाता देश होने के कारण समय के साथ समुद्री सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में भारत की जिम्मेदारियों में वृद्धि हुई है।
- भारत का समुद्री सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनेक अलग-अलग एजेंसियों पर है। एक लंबे समय से इन एजेंसियों के मध्य समन्वय की वकालत की जा रही थी। अतः बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह का गठन एवं उसका कार्यशील भूमिका में आना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह

देश में कार्यरत विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों तथा संबंधित मंत्रालयों के मध्य कुशल समन्वय विकसित करने के लक्ष्य के साथ नवंबर 2021 में बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (MAMSG) को गठित किया गया था।

- इस प्रकार, MAMSG द्वारा तटीय और अपतटीय सुरक्षा (Coastal and Offshore Security) के साथ समुद्री सुरक्षा के सभी पहलुओं के समन्वय को सुनिश्चित करने का कार्य किया जाता है। साथ ही, यह एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जो वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में संस्थागत, नीति, तकनीकी तथा परिचालन के मध्य व्याप्त अंतराल को कम करने में सहायता करता है।
- MAMSG, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat - NSCS) के तहत कार्य करता है।
  - ध्यान रहे कि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council - NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसमें- सामरिक नीति समूह (Strategic Policy Group - SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board - NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat - NSCS) जैसे घटक शामिल हैं।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करते हैं तथा इसके द्वारा आर्थिक, राजनैतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा संबंधी सामरिक मुद्दों की देखरेख की जाती है।
- MAMSG के गठन के लगभग 4 माह पश्चात फरवरी 2022 में जी. अशोक कुमार को भारत के पहले MAMSG समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पद को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator - NMSC) के रूप में भी जाना जाता है।
- NMSC द्वारा समुद्री सुरक्षा पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए समुद्री सुरक्षा एवं नागरिकों से संबंधित समुद्री मुद्दों को संबोधित करने के क्रम में एक नोडल बिंदु का निर्माण किया जाता है।

भारत की समुद्री सुरक्षा का महत्व

- **लंबी तट रेखा:** देश में द्वीपीय क्षेत्रों को मिलाकर समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। साथ ही यहां के तटीय भागों में लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone - SEZ) का निर्माण किया गया है। सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों की सुरक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
- **समुद्री क्षेत्र का आर्थिक महत्व:** एक अनुमान के अनुसार भारत में मात्रा के दृष्टिकोण से लगभग 90% व्यापार (मूल्य के आधार पर 70%) समुद्री क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के विकास हेतु अनेक कदम उठा रहा है (उदाहरण के लिए- डीप ओशन मिशन)। भारत के इन प्रयासों को सफलता शांत एवं सुरक्षित तटीय क्षेत्रों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।
- **भू-रणनीतिक महत्व:** भारत का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी एवं पड़ोसी देश चीन स्थलीय सीमा के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत को सुरक्षा संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। चीन ने मालदीव, म्यांमार तथा श्रीलंका जैसे समुद्री देशों में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आरंभ की हुई हैं तथा इनके माध्यम से वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहा है। भारत स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्वीकार करता है। ऐसे में, एक मजबूत समुद्री सुरक्षा तंत्र इस क्षेत्र में भारत के हितों को पूरा करने में सहायता करेगा।

मार्ग में चुनौतियां

आजादी के एक लंबे समय के बाद भी भारत में समुद्री सुरक्षा के लिए किसी विशिष्ट एवं स्थायी संस्था का निर्माण नहीं किया जा सका है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं के साथ राज्यों की पुलिस व्यवस्था के मध्य वितरित है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से समुद्री सुरक्षा तथा तटीय सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का विकास भारत में परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सका है।

राष्ट्रीय मुद्दे ....

- न्यायिक विलम्ब : कारण तथा उपाय
- भारतीय नागरिकता का त्याग एवं अर्जन

राजव्यवस्था

- परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
- न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल, 2022
- भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022

शासन प्रणाली

- देश की 15वीं राष्ट्रपति : श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
- असंसदीय शब्द तथा इससे संबंधित नियम
- सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु राष्ट्रीय मानक

न्यायपालिका

- महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण

संस्थान एवं निकाय

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक

सूचकांक एवं रिपोर्ट

- एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022

कार्यक्रम एवं पहल

- नागरिकों के लिए निःशुल्क टेली-लॉ सेवा

विविध

- नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण

संक्षिप्तिकी

- जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल में विस्तार
- भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन

राष्ट्रीय मुद्दे ....

न्यायिक विलम्ब : कारण तथा उपाय

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने 5 जुलाई, 2022 को कहा कि भारत में लंबित मामलों का बोझ न्यायिक प्रणाली का एक 'प्रमुख मुद्दा' है तथा बढ़ते कार्यभार के अनुरूप बुनियादी ढांचे और पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में यह समस्या और अधिक तीव्र हो रही है।

- 'भारत-यूके वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता' (Arbitrating Indo-UK Commercial Disputes) नामक विषय पर ब्रिटेन के लंदन में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही।
- प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि भारत में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बदलने और उन्नत करने के साथ-साथ न्यायिक रिक्तियों को भरने और बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त लंबित मामलों के बोझ को कम करने का एक अन्य तरीका विवाद समाधान के अन्य साधनों जैसे मध्यस्थता या सुलह को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है।

लंबित मामलों का बोझ

मामलों के बढ़ते बोझ के कारण भारतीय न्यायिक व्यवस्था जबरदस्त दबाव का सामना कर रही है।

- मई 2022 तक भारत में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे।
- इनमें से 87.4% मामले अधीनस्थ न्यायालयों में तथा 12.4% मामले उच्च न्यायालयों में लंबित थे। भारत में लंबित कुल मामलों में से लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
- मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच, अधिक लोग और संगठन अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जबकि इन मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या में कोई खास इजाफा देखने को नहीं मिला है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण अदालतों का बोझ बढ़ गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मामले लंबित हैं। फलस्वरूप न्यायिक विलम्ब भारतीय न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है।

सुनवाई में देरी या न्यायिक विलम्ब के कारण

- न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या तथा उनकी नियुक्तियों में देरी।
- बड़ी संख्या में मामले लम्बित होने के कारण मामलों के निपटारे में देरी।
- वकीलों द्वारा स्थगन लेने की आदत के चलते पहले से ही लंबित मामलों का बार-बार स्थगित होना।
- जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली लम्बी जांच प्रक्रिया।
- मामले से जुड़े किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने के कारण विलंब।
- कानूनी जटिलताओं के चलते तथा कानूनों में बार-बार संशोधन के कारण मामलों का लम्बा चलना।

सामाजिक परिदृश्य

कार्यक्रम एवं पहल
- मिशन वात्सल्य के लिए नवीन दिशानिर्देश

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति-2022 रिपोर्ट

सामाजिक न्याय
- भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी

अति संवेदनशील वर्ग
- भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति
- नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया **(NASVI)** की 16वीं बैठक

शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना

संक्षिप्तिकी
- गोल 2.0 कार्यक्रम
- मिशन शक्ति योजना

कार्यक्रम एवं पहल

मिशन वात्सल्य के लिए नवीन दिशानिर्देश

7 जुलाई, 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने 'मिशन वात्सल्य' (Mission Vatsalya) के लिए नवीन दिशानिर्देश जारी किए। यह पहल देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जानी जाती है।

- इस योजना के अंतर्गत देश के सांविधिक निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के साथ-साथ सेवा वितरण संरचनाओं को सुदृढ़ करना, समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना तथा बाल संरक्षण की दिशा में प्रशिक्षण और क्षमता को प्रोत्साहित किया जाता है।

नवीन दिशानिर्देशों के संदर्भ में

दिशानिर्देशों में, राज्यों को केंद्रीय धन और लाभों तक पहुंचने के लिए मिशन वात्सल्य के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। हालांकि, सरकार ने स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति दी है।

- राज्यों को योजना के लिए मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्येक दिशानिर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है।
- राज्यों को फंड का वितरण मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (Mission Vatsalya Project Approval Board-MVPAB) के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के सचिव द्वारा की जाएगी।
- मिशन वात्सल्य को केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally sponsored scheme) के रूप में लागू किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन भी केंद्र सरकार के साथ भागीदारी करेंगे। दोनों के मध्य फंड का वितरण 60:40 के अनुपात में किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए फंड 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल लागत केंद्र द्वारा वहन की जाएगी।
- तस्करी किये गये, गुमशुदा, बाल भिखारियों, भागे हुए बच्चों तथा मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों की उचित देखभाल हेतु राज्य सरकार द्वारा खुले आश्रयों की स्थापना की जाएगी।
- इसी प्रकार, इन दिशानिर्देशों में विस्तारित परिवारों के साथ रहने वाले अथवा किसी पालक की देखरेख में रहने वाले गरीब बच्चों के लिये पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी।
- योजना में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (State Adoption Resource Agencies-SARA) के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Inter-country adoption) को विनियमित करने में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Adoption Resource Authority-CARA) की सहायता ली जाएगी।
- देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा ट्रांसजेंडर बच्चों को लिंग एवं उम्र के आधार पर अलग-अलग आवासों में रखा जाएगा।
- किशोर न्याय अधिनियम-2015 (Juvenile Justice Act-2015) के तहत परिभाषित प्रावधानों के अनुसार राज्यों तथा जनपदों की साझेदारी के आधार पर बच्चों के लिये 24×7 हेल्पलाइन सेवा क्रियान्वित की जाएगी।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

- आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे
- लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद

मंद्दिर एवं स्मारक

- स्टेच्यू ऑफ पीस
- मानगढ़ पहाड़ी
- श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

पर्व एवं उत्सव

- बोनालु त्योहार

विरासत

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल

कला के विविध रुप

- महाराजा सरफोजी द्वितीय की पेंटिंग

संक्षिप्तिकी

- खारची पूजा

व्यक्तित्व

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे

11 जुलाई, 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने एक रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 'आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे' (Prafulla Chandra Ray) के योगदान पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह सम्मेलन दिल्ली विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती (Vijnana Bharati) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में

प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त, 1861 को खुलना (Khulna) जिले के ग्रामीण-काठीपारा (Kathipara) गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है।

- प्रफुल्ल चंद्र रे एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षक थे और भारत के पहले 'आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं' में से एक थे। उन्होंने अपने घर पर ही रसायन बनाना शुरू किया था।
- वे 1889 में कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज (Presidency College) में रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे।
- प्रफुल्ल चंद्र रे को 'भारतीय रसायन विज्ञान के पिता' (Father of Indian Chemistry) के रूप में जाना जाता है।

विज्ञान के क्षेत्र में योगदान

- उन्हें 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस (Indian Science Congress) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- उन्होंने 1896 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट (Mercurous Nitrite) की खोज की और 1901 में भारत की पहली दवा कंपनी 'बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड' (Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd) की स्थापना की।
- उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 'भारतीय साम्राज्य का साथी' (Companion of the Indian Empire) की शाही उपाधि से सम्मानित किया, और वर्ष 1919 में उन्हें नाइटहुड (Knighthood) से सम्मानित किया गया।

औद्योगीकरण के क्षेत्र में योगदान

उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कपड़ा मिलें, साबुन कारखाने, चीनी कारखाने, रासायनिक उद्योग, सिरेमिक कारखाने और प्रकाशन गृह जैसे अन्य कारखाने स्थापित करने में मदद की।

- वे तत्कालीन समय में देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के पीछे एक प्रेरक शक्ति बनकर उभरे थे।
- उन्होंने खादी सामग्री को बढ़ावा दिया और बंगाल एनेमल वर्क्स (Bengal Enamel Works), नेशनल टेनरी वर्क्स (National Tannery Works) और कलकत्ता पॉटरी वर्क्स (Calcutta Pottery Works) जैसे कई अन्य उद्योगों की भी स्थापना की।
- इन्होने शैक्षिक सुधारों का समर्थन किया और उद्योग के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा दिया।

साहित्य क्षेत्र में योगदान

उन्होंने 'हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री- फ्रॉम द अर्लीएस्ट टाइम्स टू द मिडल ऑफ द सिक्सटींथ सेंचुरी' (History of Hindu Chemistry – From the Earliest Times to the Middle of the Sixteenth Century AD) नामक पुस्तक लिखी।

- हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक ने प्राचीन भारत में धातु विज्ञान और चिकित्सा के व्यापक ज्ञान को विस्तृत किया।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- प्राकृतिक कृषि : महत्व तथा सरकार के प्रयास
- राष्ट्रीय कृषि बाजार
- डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड

उद्योग एवं व्यवसाय

- व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020

व्यापार एवं निवेश

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की व्यापक निकासी

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- भारत नवाचार सूचकांक 2021
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग
- 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक

वित्तीय क्षेत्र

- जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट

अवसंरचना क्षेत्र

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल

विविध

- एफसीआरए नियमों में संशोधन
- अल्प बचत योजनाएं

संक्षिप्तिकी

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- महिला वित्तीय संस्थान

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

प्राकृतिक कृषि : महत्व तथा सरकार के प्रयास

10 जुलाई, 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत जिले में प्राकृतिक कृषि के प्रयोगों की सराहना की।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के 75 किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक मिसाल है।

प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) क्या है?

इसे 'रसायन मुक्त कृषि' (Chemical-Free Farming) और 'पशुधन आधारित कृषि' (Livestock-based Farming) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि-पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है, जिसमें फसलों, पेड़-पौधों तथा पशुधन को एकीकृत किया जाता है। इससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग में सहायता मिलती है।

- यह मिट्टी की उर्वरता एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य में वृद्धि करने के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने जैसे अनेक अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है।
- नेचुरल फार्मिंग की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका (Masanobu Fukuoka) ने 1975 में अपनी पुस्तक 'द वन-स्ट्रॉ रेवोल्यूशन' में किया था। यह कृषि, स्थानीय प्राकृतिक एवं पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित होती है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) का एक रूप माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से नेचुरल फार्मिंग को पृथ्वी के संरक्षण के लिए आवश्यक माना गया है।
- इस कृषि के माध्यम से भूमि प्रबंधन तथा मिट्टी एवं पौधों में वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
- भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को 'भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम' (BPKP) के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। BPKP योजना का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों (Inputs) को कम करके पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

महत्त्व

- **उत्पादन की न्यूनतम लागत:** इसे रोजगार में वृद्धि करने तथा ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक लागत-प्रभावी कृषि पद्धति माना जाता है।
- **बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना:** चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिये स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्त्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
- **रोजगार सृजन:** प्राकृतिक खेती नए उद्यमों, मूल्य वर्द्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि क्षेत्र में रोजगार सृजन में सहायक है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त अधिशेष का निवेश गाँव में ही किया जा सकता है। चूँकि इसमें रोजगार सृजन की क्षमता है, ऐसे में इससे ग्रामीण युवाओं के पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2022
- वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022
- यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट-2022

मानचित्र के माध्यम से
- कराकल्पाकस्तन

द्विपक्षीय संबंध
- दुर्लभ खनिज क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग
- भारत-ताजिकिस्तान संबंध

संगठन एवं फोरम
- शंघाई सहयोग संगठन में विस्तार की संभावना
- विस्तारित फंड सुविधा

अंतरराष्ट्रीय पहल
- इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल

बैठक एवं सम्मेलन
- G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक
- भारत-अफ्रीकी विकास साझेदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव
- 48वां G7 शिखर सम्मेलन

विविध
- चीन द्वारा मौसम-संशोधन गतिविधियों का संचालन

संक्षिप्तिकी
- इंडोनेशिया: यात्रियों के लिए डिजिटल घुमंतू वीजा
- मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल

न्यूज बुलेट्स

रिपोर्ट एवं सूचकांक

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2022

जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा जारी किए गए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक-2022 (Global Gender Gap Index - 2022) में भारत कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर है। लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के मध्य सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से व्याप्त अंतर को प्रदर्शित करता है।

- वर्तमान सूचकांक में भारत के समग्र स्कोर में वृद्धि (0.629) हुई है। वर्ष 2021 में भारत का समग्र स्कोर 0.625 था तथा भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था।

महत्वपूर्ण बिंदु

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2022 में कहा गया है कि वर्तमान प्रगति के आधार पर लैंगिक समानता प्राप्त करने में अभी 132 वर्षों का समय (वर्ष 2021 के बाद लैंगिक प्रगति के कारण 4 वर्ष कम हुए हैं) लगेगा।

- वैश्विक स्तर पर, 146 देशों में आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लैंगिक समानता (Gender-Equality) वाले देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसी प्रकार, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन क्रमशः सूची में शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान (146) को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया है।
- भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों में सबसे खराब है तथा यह बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) से पीछे है। दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से खराब रहा है।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक

इस सूचकांक का प्रकाशन वर्ष 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum - WEF) द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। इसका लक्ष्य लैंगिक समानता की माप करना है।

- सूचकांक के अंतर्गत आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Partnerships and Opportunities), शिक्षा का अवसर (Educational Opportunity), स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (Health and Survival) तथा राजनीतिक सशक्तीकरण (Political Empowerment) नामक चार प्रमुख आयामों के आधार पर लैंगिक समानता की माप की जाती है तथा देशों को इस दिशा में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करके रैंक प्रदान की जाती है।
- सूचकांक के अंतर्गत उपर्युक्त चारों आयामों के साथ-साथ देशों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 0 तथा 1 के मध्य स्कोर प्रदान किया जाता है। यहां, 1 पूर्ण लैंगिक समानता जबकि 0 पूर्ण असमानता की स्थिति को प्रदर्शित करता है।

सूचकांक में भारत की स्थिति

- **आर्थिक भागीदारी एवं अवसरः** इसे राष्ट्रीय श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, समान कार्य के लिये वेतन की समानता तथा उनकी आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। वर्तमान सूचकांक में आर्थिक भागीदारी और अवसर के दृष्टिकोण से

मुख्य परीक्षा विशेष-3

सामान्य अध्ययन के 100 अति संभावित विषय

अंतरविषयी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्रों का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयोग द्वारा पूछे जाने वाले ज्यादातर प्रश्न विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक उत्तर की मांग करते हैं। अत: मुख्य परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि इन प्रश्नों का उत्तर उनकी मांग के अनुरूप ही दिया जाए। मुद्दे-आधारित, ओपन-एंडेड और अंतर-विषयक प्रकृति के इन प्रश्नों की मांग के अनुरूप ही हमने यह अध्ययन सामग्री विकसित की है। पिछले 2 अंकों में हमने सामान्य अध्ययन के क्रमश: 90 तथा 100 टॉपिक्स दिए थे, इसी कड़ी के अनुरूप हम इस अंक में भी 100 ऐसे टॉपिक दे रहे हैं जो सामान्य तौर पर एक जगह किसी एक पुस्तक में नहीं मिलते हैं। इसे विकसित करते समय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखा गया है।

जीएस पेपर-I

भूगोल

1. अर्बन हीट आइलैंड : कारण, प्रभाव और समाधान 108
2. समुद्री हीट वेव तथा इसके बहुआयामी प्रभाव 108
3. भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण : समस्या एवं समाधान 109
4. मेघ प्रस्फुटन (Cloudburst): उत्पत्ति तथा प्रभाव 109
5. अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास 110
6. महासागरीय संसाधन तथा इसके समक्ष विद्यमान संकट 110
7. आर्द्रभूमियों का पर्यावरणीय महत्व 111
8. संधारणीय पर्यटन : महत्व एवं चुनौतियां 111
9. औद्योगिक अवस्थिति 111

भारतीय समाज

10. भारत में बढ़ती असमानता : कारण एवं निवारण 112
11. धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता एवं साम्प्रदायिकता 112
12. पंथनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां 113
13. परंपरागत जनजातीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव ... 113
14. भारत में आंतरिक प्रवासन 114

इतिहास एवं संस्कृति

15. सूफी आंदोलन का समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव 114
16. मंदिर स्थापत्य कला 115
17. प्राचीन मूर्तिकला तथा समाज में महिलाओं की स्थिति 115
18. उग्र राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में इसकी भूमिका ... 116
19. वेलेजली की नीतियां एवं उनका प्रभाव 116
20. स्वतंत्रता आन्दोलन में सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका 117
21. दादा भाई नोरोजी की स्वतंत्रता आन्दोलन में भूमिका 117
22. स्वतंत्रता आन्दोलन में महिला संगठनों की भूमिका 118
23. ब्रिटिश भू-राजस्व नीति 118
24. स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान 119
25. वर्साय की संधि 119

जीएस पेपर-II

संविधान एवं शासन प्रणाली

26. मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : संबंधित मुद्दे एवं सामंजस्यता 119
27. अन्त: दलीय लोकतंत्र : चुनौतियां एवं महत्व 120
28. चुनाव सुधार : आवश्यकता एवं प्रभाव 121
29. अंतरराज्यीय नदी जल विवाद: उपबंध एवं सुझाव 122
30. संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थान 122
31. 15वां वित्त आयोग : प्रमुख सिफारिशें तथा उत्पन्न मुद्दे 123
32. सेवा प्रदायगी में पंचायतों की भूमिका 123
33. नागरिक समाज की भूमिका 124

सामाजिक न्याय

34. भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : महत्व एवं मुद्दे 124
35. भारत में कुपोषण की समस्या : सरकार के कदम एवं उपाय 125
36. जातिगत जनगणना : आवश्यकता एवं मुद्दे 125

37. मानव तस्करी की समस्या 126
38. उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति : चुनौती एवं समाधान..... 127
39. ग्रामीण विकास एवं कृषि 127
40. बाल श्रम की चुनौती..... 128

अंतरराष्ट्रीय संबंध

41. वैश्विक शासन का लोकतंत्रीकरण : महत्व और चुनौतियां 128
42. चीन एवं दक्षिण एशिया..... 129
43. बदलती वैश्विक व्यवस्था 129
44. G20 समूह..... 130
45. परमाणु निरस्त्रीकरण : चुनौती तथा भारत की भूमिका..... 130
46. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार 131
47. भारत और यूरोपीय संघ संबंध : वर्तमान स्थिति और मुद्दे. 131
48. ब्रिक्स : वैश्विक शांति और समृद्धि के निर्माण में भूमिका 132
49. प्रवासी भारतीयों की भूमिका..... 132
50. बिम्सटेक 133

जीएस पेपर-III

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

51. हरित क्रांति 2.0 : भारतीय कृषि को संधारणीय बनाने की रणनीति..... 133
52. कृषि निर्यात को बढ़ावा : चुनौतियां एवं सरकार के कदम 134
53. भूमि सुधार..... 135

आर्थिक विकास

54. ईएसजी फ्रेमवर्क : महत्व और भारत की प्रगति..... 135
55. बैंकों का निजीकरण..... 136
56. MSME क्षेत्र..... 136
57. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 137
58. ब्लू इकोनोमी : भारत के लिए महत्व तथा बढ़ावा देने के प्रयास 137
59. भू-स्थानिक डेटा नीति : महत्व एवं अनुप्रयोग..... 138
60. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स..... 138
61. मुक्त व्यापार समझौते : चुनौतियां, लाभ एवं संभावनाएं.... 139

प्रौद्योगिकी विकास

62. अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन : महत्व एवं संभावनाएं..... 139
63. डिजिटल अधिकार: आवश्यकता और चिंताएं..... 140
64. अंतरिक्ष शस्त्रीकरण : कारण एवं निहितार्थ..... 140
65. स्टेम सेल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एवं चुनौतियां..... 141
66. नैनो प्रौद्योगिकी..... 142
67. कानून प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी : भूमिका एवं चुनौतियां..... 142

राष्ट्रीय सुरक्षा

68. पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद : कारण तथा समाधान 143
69. उभरती प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा..... 143
70. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड..... 144
71. जैव आतंकवाद : चुनौती एवं उपाय..... 144
72. धन शोधन : आन्तरिक सुरक्षा के लिए चुनौती..... 145

जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण

73. नाभिकीय ऊर्जा : प्रासंगिकता एवं उत्पादन परिदृश्य..... 146
74. जलवायु परिवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा..... 146
75. ऊर्जा और जलवायु..... 147
76. ई-मोबिलिटी..... 147
77. क्लाइमेट-स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप..... 147
78. फ्लाई ऐश : संबद्ध मुद्दे, उपयोगिता तथा विनियमन..... 148
79. जलवायु परिवर्तन एवं नैतिकता..... 148
80. भारत में भूतापीय ऊर्जा: लाभ एवं उत्पादन संबंधी चुनौतियां..... 149
81. सकल पर्यावरण उत्पाद : निहितार्थ तथा मुद्दे 149
82. सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण..... 150

आपदा प्रबंधन

83. भारत में सूखा की समस्या: कारण तथा प्रबंधन की चुनौतियां..... 151
84. जूनोटिक डिजीज: कारण एवं नियंत्रण के उपाय 151
85. बलात् प्रवासन : कारण, प्रभाव एवं उपाय..... 152
86. हीट वेव..... 153
87. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग..... 153
88. छठा सामूहिक विलोपन: कारण तथा निवारण 153

जीएस पेपर-IV

सार्वजनिक एवं निजी संबंधों में नीतिशास्त्र

89. पारंपरिक मूल्यों को परिवर्तित करने में सोशल मीडिया की भूमिका..... 154
90. वर्तमान परिदृश्य में व्यावसायिक नैतिकता 155

नैतिक मुद्दे

91. दंड का नैतिक औचित्य..... 155
92. मेटावर्स तथा इसके नैतिक आयाम..... 155

अभिवृत्ति एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता

93. सुभेद्य वर्गों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति..... 156
94. भावनात्मक बुद्धिमत्ता..... 157

सिविल सेवा में नैतिकता

95. लोकहित में सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रक्रियाएं..... 157
96. शासन में नैतिकता और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण..... 158
97. सार्वजनिक सेवा..... 158
98. सामाजिक जवाबदेही: सुशासन एवं पारदर्शिता हेतु आवश्यक..... 158

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता

99. भ्रष्टाचार कम करने में आचरण संहिता की भूमिका..... 159
100. नागरिक घोषणापत्र : जन केन्द्रित शासन हेतु महत्वपूर्ण.... 160

भूगोल (जीएस पेपर-I)

अर्बन हीट आइलैंड : कारण, प्रभाव और समाधान

दिल्ली के संदर्भ में, स्कूल ऑफ एन्वायरनमेंटल स्टडीज तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (School of Environmental Studies and National Institute of Urban Affairs) द्वारा किए गए अध्ययन में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के लिए अर्बन हीट आईलैंड की घटना को उत्तरदाई माना गया।

अर्बन हीट आईलैंड

- सामान्य स्थितियों की तुलना में जब ग्रीष्म ऋतु में आसपास के क्षेत्रों के विपरीत शहरी क्षेत्रों के तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो इस स्थिति को शहरी ऊष्मा द्वीप अथवा अर्बन हीट आइलैंड (Urban Heat Island) के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इसे एक स्थानीय और अस्थायी घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस स्थिति में अन्य क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जाता है।

अर्बन हीट आईलैंड की उत्पत्ति के कारण

- **वनस्पति आवरण में कमी:** वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से वनस्पतियों की सघनता कम पाई जाती है। इससे सूर्यातप के अवशोषण में कमी आती है तथा शहरी क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हो जाती है।
- **कंक्रीट सतह:** शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रों कंक्रीट सतह का विस्तार अधिक पाया जाता है। यहां निर्माण गतिविधियों में कांच, ईंटों तथा सीमेंट जैसे सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इससे सूर्य तक के अवशोषण को बढ़ावा मिलता है तथा स्थानीय स्तर पर तापमान में वृद्धि हो जाती है।
- **वायु के वेग में कमी:** लगभग सभी शहरी क्षेत्रों में निर्मित बहुमंजिला इमारतों के कारण स्थानीय पवनों के वेग में कमी आती है। इससे, संवहन द्वारा होने वाला शीतलन प्रभाव कम हो जाता है तथा तीव्र गर्मियों के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।
- **उपभोक्तावादी जीवन शैली:** शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय अपेक्षाकृत अधिक होती है। इससे लोग एयर कंडीशनर, कार तथा जीवन को आसान बनाने वाले अन्य उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इन सभी उपकरणों में उर्जा की अधिक खपत होती है तथा इनसे प्रदूषण एवं तापमान में वृद्धि होती है।

प्रभाव

- अर्बन हीट आईलैंड की स्थितियों के निर्माण से शहरी सूक्ष्म जलवायु एवं स्थानीय मौसम संबंधित स्थितियां व्यापक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसके कारण यहां तापमान एवं वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है।
- अर्बन हीट आईलैंड की स्थिति में तीव्र गर्मियों के कारण शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत (प्रशीतन और वातानुकूलन) में वृद्धि होती है। इससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।
- अर्बन हीट आईलैंड के कारण ग्रीष्म ऋतु में शहरी क्षेत्रों में लोगों को हीटस्ट्रोक, थकावट, बेहोशी एवं तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों एवं बुजुर्गों पर पड़ता है।
- अर्बन हीट आईलैंड के कारण स्थानीय पक्षियों एवं जीव जंतुओं के लिए भोजन, आश्रय तथा जल की उपलब्धता में कमी आती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव शहरी पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है।

समाधान

- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में हल्के रंग वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे सूर्यातप के अवशोषण में कमी लाई जा सके।
- इन क्षेत्रों की इमारतों के निर्माण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए जिससे उनमें उपयुक्त मात्रा में हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था करके ऊर्जा की अतिरिक्त खपत को रोका जा सके।
- इमारतों की छतों तथा खुले शहरी स्थलों पर वनस्पति आवरण में वृद्धि करके, ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देकर तथा नागरिकों के जीवन शैली में परिवर्तन लाकर अर्बन हीट आईलैंड की घटनाओं को कम किया जा सकता है।

समुद्री हीट वेव तथा इसके बहुआयामी प्रभाव

फरवरी, 2022 में जेजीआर ओशियन (JGR Oceans) नामक एक जर्नल में प्रकाशित लेख के अनुसार वर्ष 1982 से लेकर 2018 तक पश्चिमी हिंद महासागर में हीटवेव्स की 66 जबकि बंगाल की खाड़ी में 94 घटनाएं दर्ज की गईं। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में महासागरों में समुद्री हीटवेव की तीव्रता एवं घटनाओं में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है।

समुद्री हीटवेव की उत्पत्ति

- समुद्री हीटवेव एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं जब महासागरीय क्षेत्र में जल के तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। विद्वान इसे एक दीर्घकालिक घटना के रूप में देखते हैं तथा उनका मानना है कि इस प्रकार की स्थिति को सामान्य अवस्था में वापस लाने में एक लंबा समय लग सकता है।
- सामान्य स्थितियों में, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है और समुद्र की सतह को गर्म करता है। यदि वायु-प्रवाह धीमा होता है अथवा सागरीय हवाएं कमजोर होती हैं तो समुद्र के ऊपरी सतह का गर्म जल उसके नीचे के सतह के ठंडे जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाता है और गरम जल सागरीय सतह के ऊपर ही रह जाता है। इसके पश्चात, सूरज की तापमान से यह और भी गर्म होता रहता है जिसके कारण समुद्री हीट वेव उत्पन्न हो जाती हैं।

समुद्री हीटवेव के बहुआयामी प्रभाव

- विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के परिवर्तनों से हाल के वर्षों में समुद्रों और उनके तट की पारिस्थितिकी प्रणालियों में काफी बदलाव हुआ है। समुद्री हीटवेव के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचती है, जिससे मछलियों, पक्षियों तथा अन्य समुद्री जीवो की मृत्यु हो सकती है।
- हीटवेव से हानिकारक शैवाल उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण समुद्री क्षेत्रों में पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी आ सकती है। इससे तटीय समुद्री क्षेत्रों में की जाने वाली जलीय कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।